राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एडीसी/2017/43 दिनांक : 17/4/17

आदेश

मैसर्स स्वागत वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड,3864, मुनीर मंजिल, जालीवाली मस्जिद के सामने, तोपखाने का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर (जिसे आगे से "लाईसेन्सी" के नाम से संबोधित किया जावेगा) जिसे कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तद्धीन नियमावली 1945 (जिसे आगे से क्रमशः "अधिनियम" एवं "नियमावली" शब्दों के नाम से संबोधित किया जावेगा) के प्रावधानों के तहत सर्जिकल ड्रेसिंग शिड्यूल एफ–II के अनुसार निर्माणार्थ अनुज्ञापत्र संख्या RAJ/JPR/93 प्रपत्र 25 पर दिनांक 28.2.2012 को जारी किये गये हैं एवं जो दिनांक 27.2.2017 तक वैध थे। है। कार्यालय रिकार्ड के अनुसार फर्म द्वारा दिनांक 28.02.2017 से दिनांक 27.02.2022 तक के नवीनीकरण के लिये नियमानुसार आवेदन मय दस्तावेज ,फीस विभाग में प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं लेट फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि अभी शेष है। श्री महेन्द्र सिंह शेखावत, सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर के पत्र कमांक एडीसी/एम.एस. एस./2016/1818 दिनांक 20.12.2016 की अनुपालना में श्री नरेन्द्र कुमार रैगर एवं श्री अजय कुमार सब्बल दोनों औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर द्वारा फर्म के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संदर्भ में दिनांक 06.01.2017 को फर्म का निरीक्षण श्री मोहम्मद इस्माईल सचिव एवं श्री सोहन लाल बुनकर, ऐनालिटिकल केमिस्ट की उपस्थिति में किया एवं निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति वक्त निरीक्षण श्री मोहम्मद इस्माईल सचिव को उपलब्ध कराई गई।

कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र कमांक एडीसी/एमएफजी–कॉटन/2017/23 दिनांक 10.03.2017 द्वारा नियमावली के नियम 69 एवं 85 के तहत फर्म को कारण बताओ नोटिस दिया गया एवं नोटिस प्राप्ति के 10 दिवस में कार्यालय में कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। तत्पश्चात कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र कमांक एडीसी/जयपुर/2017/32 दिनांक 03.04.2017 द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने हेतु स्मरण पत्र जारी किये गये। फर्म ने अपने पत्र कमांक 17.04.2017 के द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया।

इसी प्रकार अवमानक कोटि की घोषित औषधियों के लिये कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक एडीसी(एस.एस.)/टेस्ट –3/2017/10,11,12 दिनांक 28.02.2017 के द्वारा नियमावली के नियम 69 एवं 85 के तहत फर्म को कारण बताओ नोटिस दिया गया एवं नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में कार्यालय में कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। तत्पश्चात कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र कमांक एडीसी/जयपुर/2017/32 दिनांक 03.04.2017 द्वारा कारण बताओं नोटिसों का जवाब प्रस्तुत करने हेतु स्मरण पत्र जारी किये गये। फर्म ने अपने पत्र क्रमांक 17.04.2017 के द्वारा कारण बताओं नोटिसों के अलग अलग जवाब प्रस्तुत किये।

यह कि अवमानक कोटि की घोषित विभिन्न औषधियों के लिये जारी विभिन्न कारण बताओ नोटिस के क्रम में प्रस्तुत लाईसेंसी के विभिन्न अलग–अलग जवाब दिनांक 17.04.2017, निरीक्षण रिपोर्टस, पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं फर्म/प्रकरण से संबंधित कार्यालय में संधारित रिकार्ड इत्यादि का गहनता से अध्ययन एवं मनन करने पर लाईसेंसी का जवाब अवमानक कोटि की घोषित औषधि के लिये संतोषजनक नहीं पाया गया।

इसी प्रकार निम्न कारणों से कारण बताओ नोटिस क्रमांक एडीसी/एमएफजी–कॉटन/2017/23 दिनांक 10.03.2017 के लिये प्रस्तुत जवाब दिनांक 17.04.2017, निरीक्षण रिपोर्ट, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं फर्म/प्रकरण से संबंधित कार्यालय में संधारित रिकार्ड इत्यादि का गहनता से अध्ययन एवं मनन करने पर लाईसेंसी का जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया ।

इस प्रकार अनियमितताऐं किया जाना प्रमाणित हुआ।

क्र. सं.	निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी कारण बताओं नोटिस के विभिन्न बिन्दु	फर्म द्वारा प्रस्तुत जवाब	कॉलम संख्या 2 व 3 के लिये विवेचना	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	यह कि वक्त निरीक्षण निरीक्षण पुस्तिका मांगने पर उपलब्ध नहीं करवायी गयी।	समिति के पास निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नही है।	फर्म ने अपने जवाब दिनांक 17.04.2017 मे स्वीकार किया है कि समिति के पास निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नही है।	अनियमितता प्रमाणित है।
2	यह कि वक्त निरीक्षण गॉज/बैण्डेज के निर्माण बाबत् एक मैन्युवल रॉलिंग मशीन एवं एक मैन्युवल कटिंग मशीन पायी गयी।	वक्त निरीक्षण गॉज–बैण्डेज के निर्माण बाबत एक मैन्यूवल रोलिंग मशीन मरम्मत हेतु खाती (Carpenter) को दी गई थी।	जवाब तथ्यो के विपरीत एवं काल्पनिक होने से संतोषजनक एवं मानने योग्य नहीं है।	अनियमितता प्रमाणित है
3	यह कि वक्त निरीक्षण संस्था द्वारा साधारण बैण्डेज साईज	बैच नं0. 361 की जॉच रिपोर्ट	बैच नं0. 361 की जॉच रिपोर्ट मानक कोटि की घोषित हुई।	––

Contd 2 /

	निर्माण किया जाना पाया गया एवं 500 दर्जन साधारण बैण्डेज का निर्माण किया जाना पाया गया जिसका नमूना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत श्री नरेन्द्र कुमार रैगर, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर द्वारा जॉच बाबत् लिया गया, जिसकी जॉच रिपोर्ट अप्राप्त है।	विभाग से कोई सूचना प्राप्त नही हुई है।		
4	यह कि वक्त निरीक्षण निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 5 में वर्णित साधारण बेण्डेज के अलावा अन्य बैच का भौतिक स्टॉक शून्य पाया गया।	अन्य उत्पाद का भौतिक स्टॉक शून्य है। कथन सही है। वक्त निरीक्षण स्टॉक रजिस्टर की प्रतिलिपि उपलब्ध करवा दी गई थी।	---	---
5	यह कि निरीक्षण रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध फार्म–25 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वक्त निरीक्षण ऐनालिटिकल केमिस्ट श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल एवं सुश्री साबिया, क्वालिफाईड पर्सन अनुपस्थित पाये गये।	एनालिटिकल केमिस्ट श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल, श्रीमान निरीक्षणकर्ता के आगमन से पूर्व (भोजवनावकाश उपरान्त) कार्यालय सम्बंधी कार्यवश गये हुये थे।	जवाब तथ्यो के विपरीत एवं काल्पनिक होने से संतोषजनक एवं मानने योग्य नहीं है।	अनियमितता प्रमाणित है
6	यह कि प्राप्त शिकायत के संदर्भ में फर्म की जॉच/निरीक्षण करने पर पाया गया कि– • यह कि संस्था से पिछले तीन वर्षो के बिजली के बिलो की प्रतियां जॉच बाबत् चाहने पर प्रस्तुत नही की गई	समिति की कार्यशाला किराये के भवन मे संचालित है, समिति व भवन मालिक के मध्य निर्धारित मासिक किराये में पानी–बिजली (नॉमिनल उपयोग) का व्यय सम्मिलित है। बिजली–पानी के बिल का भुगतान भवन मालिक द्वारा ही किया जाता है। किराया नाम प्रतिलिपि संलग्न है।	प्रस्तुत जबाब दिनांक 17.04.2017 के साथ संलग्न 500 रूपये के स्टॉम पेपर क्रमांक G 755916 दिनांक 06 जनवरी 2017 की किरायानामा के नवीनीकरण दिनांक 01.12.2016 की छायाप्रति में अंकित किया है कि उपरोक्त किरायेशुदा सम्पति में नल, बिजली के कनेक्शन लगे हुए जो किरायेदारी मे शामिल है। जो कि वर्तमान मे प्रस्तुत प्रकरण के लिए मानने योग्य एवं सन्तोषजनक नही है क्योकि निरीक्षण दिनांक चुंकि 06.01.2017 पिछले तीन वर्षो के बिजली के बिलो की प्रतियां जॉच बाबत चाही गयी थी। बिजली के बिल के संबंध में जवाब सत्यता से परे है क्योंकि लाईसेंस प्राप्त करते वक्त 100 रूपये के स्टाम्प पेपर जारी दिनांक 24.01.2012 पर जो किरायानामा विभाग में प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि <u>"यह कि उपरोक्त किरायेशुदा सम्पत्ति पर नल, बिजली के कनेक्शन लगे हुये है जिसका बिल अलावा किराये के अदा करूंगा यदि नही करता हुॅं तो मालिक सम्पत्ति को मेरे नल व बिजली के कनेक्शन विच्छेद करने का अधिकार होगा"</u>	अनियमितता प्रमाणित है
	• यह कि वक्त निरीक्षण श्री मोहम्मद इस्माईल से संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षो में <u>गॉज/बैण्डेज</u> के निर्माण बाबत् खरीद किये गये सूत के बिल/कपडे के थान के	समिति द्वारा गॉज–बैण्डेज निर्माण के लिये कच्चे माल के रूप में ग्रे क्लॉथ खरीद किया	जवाब के साथ कम्प्यूटर टंकित दस्तावेज प्रेषित किया है, जिसमें रॉ मेटेरियल खरीद विवरण वर्ष 2014–15 एवं वर्ष 2015–16 के लिये विभिन्न बिलों के लिये उनके सम्मुख राशि अंकित है, एवं प्रतिकात्मक रूप मे Invoice No. 178 दिनांक 29.11.2014,	आंशिक अनियमितता प्रमाणित है

	बिल/ट्रासपोर्ट बिल्टी संबंधित दस्तावेज जॉच बाबत् चाहे गये जिस पर संस्था द्वारा बताया गया कि संस्था द्वारा केवल कपडे के थान ही जयपुर में स्थित फर्मो से खरीदा जाता है वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के बिल प्रस्तुत नही किये।	जाकर बाहर से उसको ब्लीच करवाया जाता है। तत्पश्चात गॉज–बैण्डेज निर्माण की प्रकिया की जाती है । वर्ष 2014–15 व 2015–16 के कच्चा माल/ग्रे क्लॉथ खरीद बिलों का वितरण सलंग्न है। प्रतिकात्मक कुछ बिलों की प्रतिलिपियॉ सलंग्न है।	66 दिनांक 20.02.2015, 33 दिनांक 25.02. 2015 की छायाप्रति प्रेषित की है परन्तु निरीक्षण के दौरान उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब पूर्ण रूप से माने जाने योग्य नही है।	
	• यह कि श्री मोहम्मद इस्माईल से संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले तीन साल में भुगतान की गई सैलेरी की जॉच बाबत् कर्मचारी हाजरी रजिस्टर/उपस्थिति पंजिका, वेतन भुगतान रजिस्टर एवं पैमेन्ट स्लीप इत्यादि चाही गई जिस पर श्री मोहम्मद इस्माईल द्वारा बताया गया कि संस्था द्वारा उपस्थिति रजिस्टर संधारित नही किया जाता है एवं मजदूरो को सैलेरी नगद दी जाती है इस बाबत् वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के वेतन भुगतान का रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया।	समिति के कर्मचारियों व मजदूरों को वेतन का नकद द्वारा भुगतान किया गया है। वर्ष 2014–15 व 2015–16 के मासिक वेतन भुगतान व निर्माण कार्य में सलंग्न वर्करों को दी गई मजदूरी भुगतान क विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।	जवाब के साथ कम्प्यूटर टंकित दस्तावेज प्रेषित किया है, जिसमें वर्ष 2014–15, 2015–16 के लिये पेकिंग कटिंग मजदुरी, किराया भुगतान इत्यादि से संबंधित राशि अंकित की है। परन्तु निरीक्षण के दौरान उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब पूर्ण रूप से माने जाने योग्य नही है।	आंशिक अनियमितता प्रमाणित है।
	• यह कि फर्म पर कपडे के थान के ब्लीच करने की सुविधा नही पाई गई। श्री मोहम्मद इस्माईल द्वारा गॉज/बैण्डेज के कपडे के थान की ब्लीचिंग बाबत् अवगत कराया/पाया गया कि संस्था द्वारा ग्रे कपडे के थान मार्केट से खरीदा जाता है एवं ब्लीचिंग मैसर्स नूर प्रिंटर्स, जयपुर अब्दुल रसीद डायर्स जयपुर इत्यादि फर्मो से करवाना बताया ।	समिति के पास कपड़ा ब्लीच करने की सुविधा नहीं है। समिति द्वारा बाहर से अन्य संस्थओ से क्लॉथ ब्लीच करवाया जाता है।	जवाब के साथ कम्प्यूटर टंकित दस्तावेज प्रेषित किया है, फर्म ने स्वंय ने स्वीकार किया है कि समिति के पास कपड़ा ब्लीच करने की सुविधा नहीं है। समिति द्वारा बाहर से अन्य संस्थओ से क्लॉथ ब्लीच करवाया जाता है।	आंशिक अनियमितता प्रमाणित है।
	यह कि वक्त निरीक्षण परिसर में गॉज/बैण्डेज के सूत के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कोई हैण्डेलूम मशीन संधारित नहीं पायी गयी।	समिति की हैण्डलूम कार्यशाला अन्यत्र स्थान पर स्थापित है। अतः वक्त निरीक्षण गॉज–बैण्डेज निर्माण	जवाब तथ्यो के विपरीत एवं काल्पनिक होने से संतोषजनक एवं मानने योग्य नहीं है।	अनियमितता प्रमाणित है।

		कार्यशाला स्थल पर उपलब्ध नहीं है।	(4)	
7	यह कि शिकायत में वर्णित बिन्दु जो कि निरीक्षण रिपोर्ट के पैरा 10(I-V) में अंकित है, के संबंध मे वर्ष 2014 एवं 2015 से संबंधित दस्तावेज मांगने पर प्रस्तुत नही किये गये।	रिपोर्ट के पैरा 10 (IV) के सम्बंध में वर्ष 2014–15 व 2015–16 के ब्लीच से सम्बंधित दस्तावेज का विवरण सलंग्न है। प्रतिकात्मक कुछ बिलों की प्रतिलिपियॉ सलंग्न है।	विवेचना उपरोक्तानुसार है।	अनियमितता प्रमाणित है

जिसके फलस्वरूप लाईसेंसी द्वारा नियमावली के नियम 124–C एवं शिड्यूल–एफ II सपठित अधिनियम की धारा 18(a)(vi), (b) एवं लाईसेंस की शर्तों (नियम 74 प्रपत्र 25 से संबंधित) का उलंघन किया जाना प्रमाणित हैं।

अतः मैं संजय सिंघल, अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, जयपुर नियमावली के नियम 85 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लाईसेंसी को जारी सर्जिकल ड्रेसिंग शिड्यूल एफ–II के अनुसार निर्माणार्थ अनुज्ञापत्र संख्या RAJ/JPR/93 प्रपत्र 25 पर दिनांक 28.2.2012 को जारी किये गये हैं एवं जो दिनांक 27.2.2017 तक वैध थे(कार्यालय रिकार्ड के अनुसार फर्म द्वारा दिनांक 28.02. 2017 से दिनांक 27.02.2022 तक के नवीनीकरण के लिये नियमानुसार आवेदन मय दस्तावेज ,फ़ीस विभाग में प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं लेट फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि अभी शेष है) को 04 माह के लिये (01 मई 2017 से 31 अगस्त 2017 तक) निलम्बित करता हूँ एवं यदि लाईसेंसी द्वारा नियमानुसार निर्धारित अवधि में मय लेट फीस लाईसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन मय वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता तो लाईसेंस स्वतः ही निष्प्रभावी होने से निरस्त मानें जावेगें एवं नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी।

उक्त कार्यवाही लाईसेंसी के विरूद्ध लम्बित/भविष्य में की जाने वाली किसी भी न्यायिक कार्यवाही पर बिना विपरीत प्रभाव डाले की जा रही है।

(हस्ताक्षर) 28/4/17
(संजय सिंघल)
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक
जयपुर।

क्रमांक : एडीसी/2017/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, हैण्डलूम भवन, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के सामने, टोंक रोड, जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन, चौमू हाउस, जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प0 क0/आई0ई0सी0/ई0एस0आई0/एम0एस0यू0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर।
5. औषधि नियंत्रक–प्रथम एवं द्वितीय, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
6. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. **मैसर्स स्वागत वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड,3864, मुनोर मंजिल, जालीवाली मस्जिद के सामने, तोपखाने का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर** को आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि उक्त अवधि में स्वीकृत उत्पाद (सर्जिकल ड्रेसिंग शिड्यूल एफ–II के अनुसार) निर्माण, क्रय एवं विक्रय बंद रखें, तथा दिनांक 30.04.2017 को निर्माण की गई/की जाने वाली औषधियों का विवरण एवं संबंधित औषधियो के लिये अन्तिम विक्रय बिल तथा दिनांक 01.09.2017 को निर्माण की गई/की जाने वाली औषधियों का विवरण एवं संबंधित औषधियो के लिये प्रथम विक्रय बिल मय दस्तावेज यथा समय कार्यालय में प्रस्तुत करें। फर्म द्वारा अपने जवाब दिनांक 17.04.2017 के साथ संलग्न 500 रूपये के स्टॅाम पेपर क्रमांक G 755916 दिनांक 06 जनवरी 2017 की किरायानामा के नवीनीकरण दिनांक 01.12.2016 की छायाप्रति में अंकित किया है कि "उपरोक्त किरायेशुदा सम्पति में नल, बिजली के कनेक्शन लगे हुए जो किरायेदारी मे

Cont. 5

(हस्ताक्षर) 28/4/17

शामिल है।" जो कि वर्तमान मे प्रस्तुत प्रकरण के लिए मानने योग्य एवं सन्तोषजनक नही है क्योकि निरीक्षण दिनांक चुंकि 06.01.2017 पिछले तीन वर्षो के बिजली के बिलो की प्रतियां जॉच बाबत चाही गयी थी। बिजली के बिल के संबंध में जवाब सत्यता से परे है क्योंकि लाईसेंस प्राप्त करते वक्त 100 रूपये के स्टाम्प पेपर जारी दिनांक 24.01.2012 पर जो किरायानामा विभाग में प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि **"यह कि उपरोक्त किरायेशुदा सम्पत्ति पर नल, बिजली के कनेक्शन लगे हुये है जिसका बिल अलावा किराये के अदा करूंगा यदि नही करता हुँ तो मालिक सम्पत्ति को मेरे नल व बिजली के कनेक्शन विच्छेद करने का अधिकार होगा"** अतः इस परिपेक्ष्य में फर्म को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.10.2017 को निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व फर्म परिसर पर अलग से बिजली का कनेक्शन प्राप्त कर 1 वर्ष (Tentative) तक प्रति माह बिजली के बिल मय जमा राशि की रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करें। (रजिस्टर्ड)

11 श्री नरेन्द्र कुमार रैगर एवं श्री अजय कुमार सब्बल दोनों औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना यथा समय सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

12 जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रकाशनार्थ प्रेषित है।

13 थानाधिकारी, पुलिस थाना, चांदपोल/संजय सर्किल, जिला--जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि औषधि नियंत्रण अधिकारी, जयपुर द्वारा कार्यवाही हेतु इमदाद मांगे जाने पर उपलब्ध कराने का श्रम करें।

14 प्रभारी सर्वर रूम (मुख्यालय) को भेजकर लेख है कि कृपया पत्र को उक्त सभी को ई–मेल एवं संगठन के वेब पेज पर प्रदर्शित करने का श्रम करावें।

15 रक्षित पत्रावली/कार्यालय प्रति।

17/5/17

(संजय सिंघल)
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियंत्रक
जयपुर।